कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र (ए.डी.आर. सेन्टर) संयोगिता नगर, अजमेर

फोन नं.– 0145–2943811, **Email : legalaidajmer@gmail.com**

क्रमांक / सामान्य / 2025–26 / 38 दिनांक :– 24.02.2025

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांकः–एफ–7(136) / रालसा / संस्था / संविदा सेवा–वाहन / 2025 / 65 दिनांक 04.02.2025 तथा राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि–2 / विरसं(64) / 2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर में 04, स्थायी लोक अदालत में 02 व तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर / किशनगढ़ / केकड़ी / सरवाड़ / पुष्कर / विजयनगर / नसीराबाद में 01–01 इस प्रकार कुल 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.02.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो की कालावधि के लिए सेवानिवृत / विपरित प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिये जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

क. स.	प्राधिकरण / समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर	4
2	स्थाई लोक अदालत, अजमेर	2
3	तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, विजयनगर, पुष्कर, सरवाड़ (प्रत्येक में 1–1)	7
		कुल पद – 13

शर्तेः–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी।

2.उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होंगे।

3.समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, सेवाएं देने के इच्छुक हों ऐसे कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर, स्थाई लोक अदालत, अजमेर व तालुकाओं में रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 27.02.2025 को 3.00 पी.एम तक आवश्यक दस्तावेजात सहित इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी. **dlsa1ajmer@gmail.com** पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/ajmer** से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि दिनांक 27.02.2025 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः–

01.अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति

02. संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अजमेर

क्रमांक / सामान्य / 2025—2026 / 68-87   दिनांक :—24.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर, अजमेर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु
5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर को अखबार में प्रकाशन हेतु
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर / किशनगढ़ / केकड़ी / नसीराबाद / बिजयनगर / पुष्कर / सरवाड़
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. आदेश / संबंधित पत्रावली

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अजमेर

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर (राज.)

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथिः– ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :– ....
....
....

5. आयु (दिनांक 31.03.2025) :– .... वर्ष .... माह .... दिन
6. अर्हताएं :– ....
7. मूल विभाग का नाम :– ....
....
8. धारित पद :– ....
....
9. अनुभव :– ....
....
10. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) ....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) ....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1).. (2)..(3)..
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं..

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/ श्रमती.. पुत्र/पत्नी .... जो .... पद पर .... विभाग में कार्य कर रहा है, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा है और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिया की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन प्लस ग्रेड पे) .... आहरित कर रहा है/ कर रही है और कि श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी भी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील